Order Sheet (Subsequent)

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक), जोधपुर

CNR NUMBER 2022/8

Number of Case P/275 Year 2024

हिमांशु Versus प्रशान्त सिंघर

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	न्यायहित में एक अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते संशोधित शीर्षक एवं बहस अंतिम हेतु आयन्दा दिनांक 06/04/26 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	
06/4/26	पत्रावली पेश। वकील वादी उप०। वकील वादी गत आदेशिका की पालना हेतु समय चाहते हैं। न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते संशोधित शीर्षक एवं बहस अंतिम हेतु आयन्दा दिनांक 22/4/26 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	
22/4/26	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश सुनाने हेतु आयन्दा दिनांक 24/4/26 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	
24/4/26	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। पत्रावली का अवलोकन किया गया।	

Order Sheet (Subsequent)

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

CNR NUMBER 2022/8

Number of Case P/275 Year 2024

हिमांशु Versus प्रशान्त / सिंवर

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	बहस वकील वादी पर मनन किया गया तथा प्रपत्र लिखित जवाबों का अवलोकन किया गया। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भली भांति साबित न होने एवं साक्ष्यहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय एवं डिक्री पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। Sd/- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा. ट्रे.) सत्यमेव जयते जोधपुर	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर आर.ए.एस.

राजस्व मूलवाद सं. : P/275/2024 (GCMS No 2022/8)

— : : **अनवान्** : : —

वादी :—

हिमांशु पुत्र श्रवण कुमार, जाति. जाट निवासी प्लोट नम्बर 50, सारण नगर, जम्भेश्वर कोलोनी, 10 दुकान बनाड़ रोड़, जोधपुर।

बनाम्

प्रतिवादीगण :—

1. प्रशांत सिंवर पुत्र श्रवण कुमार जाति जाट उम्र 15 वर्ष, नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमती रेवती पत्नी श्रवण कुमार निवासी बेरा चौधरी सागर एच०पी० गैस एजेन्सी भानू बालसमंद तहसील व जिला जोधपुर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955

अधिवक्ता :—

1. श्री जगदीश प्रजापत, भंवरलाल चौधरी व राजेन्द्र चौधरी अधिवक्तागण वादी
2. श्री बींजाराम जाजड़ा एवं दीपक मोरपाल अधिवक्तागण प्रतिवादी संख्या 01

— : : **निर्णय** : : — **दिनांक : 24.04.2026**

वकील वादी द्वारा एक राजस्व वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निम्नानुसार निवेदन किया हैं कि —

ग्राम मण्डोर प्रथम में खसरा नम्बर 1563/4 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा 08 बिस्वांशी, खसरा नम्बर 1563/8 रकबा 07 विस्वा 05 बिस्वांशी, खसरा नम्बर 1563/10 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा 07 विस्वांशी कुल खसरा 03 कुल रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा भूमि आयी हुई है. जिसे इस वाद में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी भूमि थी, जिसके तहत गोरधन जी के दो पुत्र थे, एक श्रवण एवं दूसरा राजेश, इसलिए वादग्रस्त भूमि का गोरधन ने अपने जीवनकाल में ही अपने दोनों पुत्रों को 1/2—1/2 जमीन दे दी गई थी, इस प्रकार 1/2 हिस्से की जमीन जो श्रवण जी वादी के पिता के हिस्से में आयी थी, उसमे वादी का 1/3 हिस्सा बनता है। वादग्रस्त भूमि में वादी के पिता का 1/2 हिस्सा भूमि में वादी के हिस्से में 1/2 का 1/3 हिस्से अनुसार 10 बिस्वा भूमि बंट में आती है,, चूंकि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होने से वादी का उक्त भूमि में जन्म से ही हक एवं अधिकार उत्पन्न हो गया है. जिसको प्राप्त करने का पूरा अधिकार वादी को है। वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से में वादी का 1/3

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

हिस्से अनुसार 10 बिस्वा एवं प्रतिवादी का भी 1/2 हिस्से में 1/3 हिस्से के अनुसार 10 बिस्वा भूमि ही बंट में आती है, इससे अधिक का अगर बैचान हस्तान्तरण करके हिस्सा अधिक किया गया है, तो उसको वादी प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादी के पास उसके हिस्से में आयी भूमि उससे बंट एवं हिस्से से अधिक होने के कारण प्रतिवादी द्वारा यह एलानियां धमकियां दी जा रही है कि वादग्रस्त भूमि का बैचान हस्तान्तरण करके वादी को उनके हक हिस्से से महरूम कर दिया जायेगा, इसलिए वादी को यह वाद बाबत् घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना पड़ रहा है। वाद कारण दिनांक 15.11.2022 को प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का बैचान हस्तान्तरण करने की धमकी देने एवं वादी को उनके हक से महरूम करने की धमकी देने पर पैदा हुआ, जो आज दिन तक निरन्तर जारी है। प्रार्थना वादी की ओर से निम्न है कि –

(i) यह है कि वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर ग्राम मण्डोर प्रथम में स्थित खसरा नम्बर 1563/4 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा 08 बिस्वांशी, खसरा नम्बर 1563/8 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 1563/10 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा 17 बिस्वांशी भूमि के 1/2 हिस्से में 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषित किये जाने का आदेश फरमावे, एवं घोषित हिस्से के अनुसार राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम अमल दरामद किये जाने का आदेश फरमावें।

(ii) यह है कि प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वादी के हिस्से में घोषित भूमि में न तो स्वयं दखलअन्दाजी करे न ही किसी अन्य व्यक्ति या एजेण्ट से करावे।

(iii) यह है कि अन्य दादरसी जो वादी के हक में हो, जारी फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। आदेशिका दिनांक 18.07.2023 को प्रतिवादीगण को भेजे गये नोटिस की तामील पर्याप्त मानी जाकर उनकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादी अधिवक्ता की ओर से साक्षी श्रीमती प्रेम पत्नी श्रवण कुमार (PW-1) तथा श्री बाबुलाल पुत्र मंगलाराम (PW-2) के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। साक्षी श्रीमती प्रेम पत्नी श्रवण कुमार (PW-1) के बयान लेखबद्ध करवाकर प्रदर्श अंकित करवाये गये। वादी अधिवक्ता ने अन्य साक्षी पेश नही करना चाहते है, जाहिर किया। अतः साक्ष्यवादी बंद की गई। प्रतिवादीगण के विरूद्ध पूर्व में ही एकपक्षीय कार्यवाही होने से उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए। वादी अधिवक्ता की अंतिम बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली मय दस्तावेजात् का अवलोकन व अध्ययन किया। बहस वकील वादी पर मनन किया गया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया गया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन व निर्णयन इस प्रकार हैं –

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

1. **वाद का संक्षिप्त विवरण** :– वादी का मुख्य कथन यह है कि वादग्रस्त अराजी ग्राम मण्डोर प्रथम स्थित विभिन्न खसरा नंबरों में दर्ज है, जो मूलतः उसके दादा गोवर्धन राम के नाम दर्ज रही। वादी के अनुसार उक्त अराजी पुश्तैनी प्रकृति की है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, अतः वादी को उसमें जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है। वादी ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के अधिकार को अस्वीकार करते हुए भूमि में हस्तक्षेप किया जा रहा है तथा अराजी के विक्रय/हस्तांतरण की संभावना है, जिससे वादी को अपूरणीय क्षति होने की आशंका है। इसी आधार पर वादी ने निम्न राहतें प्रार्थित की हैं–

   – वादग्रस्त अराजी को पैतृक घोषित किया जाए,

   – वादी के हिस्से के अनुसार खातेदारी दर्ज की जाए,

   – प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा हस्तक्षेप से रोका जाए।

   न्यायालय अभिलेख से यह भी परिलक्षित होता है कि प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस तामील होने के बावजूद उन्होंने न तो लिखित जवाब प्रस्तुत किया और न ही साक्ष्य प्रस्तुत किए। निरंतर अनुपस्थिति के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही (Ex parte) की गई।

2. **विचारणीय बिन्दु** :–

   – क्या वादग्रस्त अराजी पैतृक/पुश्तैनी संपत्ति है ?

   – क्या वादी को उक्त अराजी में जन्मसिद्ध अथवा वैधानिक अधिकार प्राप्त है ?

   – क्या वादी वांछित घोषणा, खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अधिकारी है ?

3. **साक्ष्य एवं अभिलेखों का परीक्षण** :–

   वादी द्वारा प्रस्तुत प्रमुख दस्तावेज निम्न हैं :–

   – साक्ष्य शपथ पत्र (PW-1)

   – जमाबंदी संवत 2060 से 2063 (प्रदर्श–1)

   – संबंधित म्यूटेशन प्रविष्टियां (प्रदर्श–2)

   इन अभिलेखों से निम्न तथ्य स्पष्ट होते है कि–

   – वादग्रस्त अराजी गोवर्धन राम को बख्शीश (दान) के माध्यम से प्राप्त हुई थी (म्यूटेशन संख्या 2443 दिनांक 16.05.2011)

   – गोवर्धन राम द्वारा अपने जीवनकाल में

      – आधा हिस्सा अपने पुत्र राजेश को बख्शीश द्वारा दिया गया।

      – शेष आधा हिस्सा म्यूटेशन संख्या 2550 दिनांक 28.03.2015 द्वारा प्रेम कुमारी कटेवा (वादी की माता) को विक्रय/हस्तांतरण किया गया।

सहायक कलक्टर (कास्ट केस) जोधपुर

अतः दस्तावेज स्वयं यह स्थापित करते हैं कि गोवर्धन राम उक्त अराजी के पूर्ण स्वामी थे।

4. विधिक विश्लेषण :–

(क) पैतृक बनाम स्व–अर्जित संपति –

- माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***Commissioner of Wealth Tax Vs Chander Sen (1986)*** में यह प्रतिपादित किया है कि जो संपत्ति उत्तराधिकार के अतिरिक्त अन्य माध्यम (जैसे दान, क्रय) से प्राप्त होती है, वह स्व–अर्जित संपत्ति होती है।
- इसी प्रकार ***Yudhishter Vs. Ashok Kumar (1987)*** में यह स्पष्ट किया गया कि पैतृक संपत्ति वही है जो चार पीढ़ियों तक अविभाजित रूप से चली आ रही हो।

उपरोक्त सिद्धांतों के अनुसार –– ***दान (बख्शीश) से प्राप्त संपत्ति पैतृक नहीं मानी जा सकती।***

(ख) स्वामी के अधिकार –

स्व–अर्जित संपत्ति के संबंध में यह स्थापित विधिक सिद्धांत है कि– स्वामी को पूर्ण अधिकार होता है कि वह संपत्ति को अपनी इच्छानुसार हस्तांतरित करे।

(ग) Ex parte कार्यवाही का प्रभाव –

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***Ramesh Chand Ardawatiya vs- Anil Panjwani (2003)*** में यह प्रतिपादित किया कि –– ***एकपक्षीय कार्यवाही होने मात्र से वादी का दावा स्वतः सिद्ध नहीं हो जाता; वादी को अपने दावे को साक्ष्य से सिद्ध करना आवश्यक होता है।***

5. न्यायालय निष्कर्ष :–

उपरोक्त विचारणीय बिंदुओ के सन्दर्भ में न्यायालय बिंदुवार इस निष्कर्ष पर पहुंचता हैं कि –

1. अभिलेखों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त अराजी गोवर्धन राम को बख्शीश द्वारा प्राप्त हुई थी। अतः यह पैतृक/पुश्तैनी संपत्ति नहीं है।
2. अराजी स्व–अर्जित होने के कारण वादी को उसमें कोई जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त नहीं होता।
3. वादी अपने दावे को प्रमाणित करने में असफल रहा है, अतः वह मांगी गई राहतों का अधिकारी नहीं है।

अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादी अपना दावा सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर

– : : आदेश : : –

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वादी का वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 भली–भांति साबित न होने व सारहीन होने के कारण खारिज (Dismissed) किया जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मधुलिका सीवर) आर.ए.एस
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 24.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मधुलिका सीवर) आर.ए.एस
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 21 रूल 3, 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर आर.ए.एस.

राजस्व मूलवाद सं. : P/275/2024 (GCMS No 2022/8)

– : : अनवान् : : –

वादी :–

हिमांशु पुत्र श्रवण कुमार, जाति. जाट निवासी प्लोट नम्बर 50, सारण नगर, जम्भेश्वर कोलोनी, 10 दुकान बनाड़ रोड़, जोधपुर।

बनाम्

प्रतिवादीगण :–

1. प्रशांत सिंवर पुत्र श्रवण कुमार जाति जाट उम्र 15 वर्ष, नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमती रेवती पत्नी श्रवण कुमार निवासी बेरा चौधरी सागर एच०पी० गैस एजेन्सी भानू बालसमंद तहसील व जिला जोधपुर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपरोक्तानुसार राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर.टी.एक्ट. में श्री जगदीश प्रजापत, भंवरलाल चौधरी व राजेन्द्र चौधरी अधिवक्तागण वादी ने हाजरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है –

प्रस्तुत वाद में वाके ग्राम मण्डोर प्रथम तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नं 1563/4 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा 08 बिस्वांसी, खसरा नं. 1563/8 रकबा 07 बिस्वा 05 बिस्वांशी, खसरा नं. 1563/10 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा 07 बिस्वांशी कुल खसरा 03 कुल रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा भूमि के संबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली–भांति साबित न होने व सारहीन होने के कारण खारिज (Dismissed) किया गया। जिसकी पालना में तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **24.04.2026** को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लीज..... .....मुबलिक..... .....बाबत्..... .....खर्चा इस मुकदमें के मय सुदवगैरह..... .....की सदीसलाना आज तारीख से तारीख वसूलयाबीतक..... .....अदाकरें।

वसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख **24.04.2026** की जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) सत्यमेव जयते जोधपुर

(मधुलिका सींवर)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

राजस्व वाद संख्या P/275/2024
हिमांशु बनाम् प्रशांत सिंवर व अन्य

मुदाई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प जारी दावा			स्टाम्प जारी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
खर्चा अह्वान्			खर्चा अह्वान्		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् इजराज हुक्मनामा		
मतफरिक			मतफरिक		

नोट : इस खर्च के फार्म पर यदि फरीकेन या वाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) जोधपुर
सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर